

धारा XV संक्षिप्त अवधि शीट	
श्रृंखला का नाम	आरईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड श्रृंखला XX
जारीकर्ता	आरईसी लिमिटेड
लिखत का प्रकार	डिबेंचर के स्वरूप वाले बॉण्ड। बुलेट रिडेम्पशन (आवंटन की मानी गई तिथि से 5 (पांच) वर्ष/60 (साठ) माह के अंत में)।
लिखत की प्रकृति	आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के अंतर्गत लाभों सहित, श्रृंखला XX के अंतर्गत सममूल्य पर नकद के बदले "ऑन-टैप" आधार पर जारी किए गए डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिभूत, रेटेड, गैर-सूचीबद्ध, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी, प्रतिदेय एवं कर योग्य बॉण्ड
वरिष्ठता	वरिष्ठ
निर्गम का माध्यम	निजी नियोजन
पात्र निवेशक	- व्यक्तिगत - हिंदू अविभाजित परिवार - साझेदारी फर्म - सीमित दायित्व साझेदारी - बीमा कंपनियां - कंपनियां एवं निगमित निकाय - भविष्य निधियां, अधिवर्षिता निधियां तथा उपदान निधियां - बैंक - म्यूचुअल फंड - वित्तीय संस्थान - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (प्रचलित विनियमों के अधीन) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - अनिवासी भारतीय /अन्य विदेशी पात्र निवेशक, जो लागू नियमों के अधीन अप्रत्यावर्तनीय आधार पर एनआरओ खाते से निवेश कर रहे हों। - सहकारी बैंक - लागू कानूनों के अधीन कोई अन्य निवेशक प्रत्येक मामले में, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के अंतर्गत इन बॉण्ड की सदस्यता लेने हेतु पात्रता के आधार पर नियम होंगे। इसे किसी अन्य व्यक्ति को पुनरुत्पादित अथवा वितरित नहीं किया जाना है (आरईसी से यह सूचना ज्ञापन प्राप्त करने वाले संभावित निवेशक के व्यावसायिक सलाहकारों को छोड़कर)। आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के लिए पृष्ठ 80 से 82 देखें। आरईसी अपने एकमात्र एवं पूर्ण विवेकाधिकार से, बिना कोई कारण बताए, किसी भी आवेदन को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। आवेदन को तभी पूर्ण माना जाएगा जब विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र भुगतान के प्रमाण सहित प्राप्त होगा। ऐसा आवेदन प्रपत्र, जो सभी दृष्टियों से पूर्ण न हो, आरईसी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
सूचीबद्धता	लॉक-इन अवधि के दौरान बॉण्ड की अहस्तांतरणीयता के कारण इन बॉण्ड को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
लिखत की रेटिंग	आईसीआरए लिमिटेड द्वारा 'आईसीआरए एएए' केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा 'सीएआरई एएए' क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा 'क्रिसिल एएए'

	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 'आईएनडी एएए'
निर्गम आकार	₹1,000 करोड़ (एक हजार करोड़ रुपये) तथा ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने हेतु ग्रीन शु विकल्प।
निर्गम के उद्देश्य	जारीकर्ता के संघ ज्ञापन के उद्देश्य खंड के अंतर्गत अधिकृत उसके कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों में वृद्धि करना।
प्राप्तियों के उपयोग का विवरण	इस प्रस्ताव के माध्यम से जुटाई गई निधियां किसी विशिष्ट परियोजना के लिए अभिप्रेत नहीं हैं; अतः इस निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग जारीकर्ता की नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसलिए, प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रस्ताव के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग केवल निर्गम के उद्देश्यों की संतोषजनक पूर्ति के लिए ही किया जाए।
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड ₹10,000 (दस हजार रुपये)।
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर। प्रति बॉण्ड ₹10,000 (दस हजार रुपये)।
जिस छूट / प्रीमियम पर बॉण्ड जारी किया गया	लागू नहीं
कूपन दर	5.25% (पांच दशमलव दो पांच प्रतिशत) प्रतिवर्ष।
कूपन भुगतान आवृत्ति	वार्षिक
कूपन भुगतान तिथियां	रिडेम्पशन तक ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 जून को किया जाएगा तथा शेष ब्याज का भुगतान रिडेम्पशन के साथ किया जाएगा।
कूपन का प्रकार	निर्धारित
दिन-गणना आधार	वास्तविक / वास्तविक
अवधि	आवंटन की तय तिथि से 5 (पांच) वर्ष / 60 (साठ) माह।
रिडेम्पशन/परिपक्वता	सममूल्य पर, आवंटन की तय तिथि से 5 (पांच) वर्ष / 60 (साठ) माह की समाप्ति पर।
रिडेम्पशन राशि	सममूल्य पर। प्रति बॉण्ड ₹10,000 (दस हजार रुपये)।
रिडेम्पशन प्रीमियम/छूट	लागू नहीं
पुट विकल्प	लागू नहीं
कॉल विकल्प	लागू नहीं
न्यूनतम आवेदन तथा उसके पश्चात गुणकों में	आवेदन का न्यूनतम आकार ₹20,000 (बीस हजार रुपये) (2 (दो) बॉण्ड) होना चाहिए तथा इसके पश्चात ₹10,000 (दस हजार रुपये) (1 (एक) बॉण्ड) के गुणकों में होना चाहिए।
अधिकतम आवेदन आकार	प्रत्येक ₹10,000 (रुपये दस हजार) के 500 (पाँच सौ) बॉण्ड(आयकर अधिनियम, 1925 की धारा 85 के अधीन), अर्थात ₹50,00,000 (रुपये पचास लाख)।
निर्गम समय	निर्गम प्रारंभ तिथि: 1 अप्रैल, 2026; निर्गम समापन तिथि: 31 मार्च, 2027 (बैंकिंग कार्यावधि की समाप्ति पर) अथवा ऐसी तिथि, जो आरईसी अपने पूर्ण विवेकाधिकार से निर्धारित करे।
लिखत के निर्गमन का माध्यम	पात्र निवेशक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार भौतिक या डीमैट रूप में।
लिखत के निपटान का माध्यम	ब्याज का भुगतान तथा मूलधन का पुनर्भुगतान चेक (चेकों)/वारंट (वारंटों)/मांग ड्राफ्ट (ड्राफ्टों)/प्रत्यक्ष जमा/आरटीजीएस /एनईसीएस /एनईएफटी अथवा बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
चेक / ड्राफ्ट जारी किया जाए	"आरईसी लिमिटेड - 54ईसी बॉण्ड"
डिपॉजिटरी	एनएसडीएल और सीडीएसएल
रिकॉर्ड तिथि	प्रत्येक ब्याज भुगतान तिथि तथा रिडेम्पशन तिथि से 15 दिन पूर्व।

प्रतिभूति	बॉण्ड ट्रस्टी तथा जारीकर्ता के मध्य सहमति के अनुसार, बॉण्ड को जारीकर्ता की अचल एवं/अथवा चल परिसंपत्तियों के बंधक तथा/अथवा हाइपोथिकेशन के माध्यम से प्रतिभूत किया जाएगा।
लेन-देन संबंधी दस्तावेज़	बॉण्ड ट्रस्ट विलेख; बॉण्ड ट्रस्टी करार; विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र; तथा सूचना ज्ञापन।
शासकीय विधि एवं क्षेत्राधिकार	भारत में लागू नियम लागू होंगी तथा क्षेत्राधिकार दिल्ली के न्यायालयों का होगा।
बॉण्ड ट्रस्टी	एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
निर्गम का रजिस्ट्रार	केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

टिप्पणी :

1. आरईसी अपनी वेबसाइट पर सूचना के माध्यम से कूपन दर में संशोधन करने और/अथवा निर्गम को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पात्र निवेशकों को सलाह दी जाती है कि बैंक में आवेदन जमा करने से पूर्व वे आरईसी /मोबिलाइज़र्स से परामर्श कर लें।
2. आरईसी द्वारा प्रस्तुत किए गए लेकिन अस्वीकार किए गए सभी आवेदन, आरईसी द्वारा आवेदक / संग्रह बैंकर को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिए जाएंगे।
3. न्यूनतम 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) और उसके बाद 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) के गुणकों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे; उक्त के अनुसार प्राप्त न होने वाली किसी भी राशि को बिना ब्याज के पात्र निवेशक को वापस कर दिया जाएगा।
4. केवल दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों, भूमि या भवन या दोनों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, हस्तांतरण के 6 महीने की अवधि के भीतर, इन बॉण्ड में निवेश किया जा सकता है।